अध्याय-1

सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2018-19 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे उल्लिखित हैं:

तालिका 1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19[1]
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	कर राजस्व	27,634.57	30,929.09	34,025.69	41,099.38	42,581.34[2]
	कर-भिन्न राजस्व	4,613.12	4,752.48	6,196.09	9,112.85	7,975.64
	योग	**32,247.69**	**35,681.57**	**40,221.78**	**50,212.23**	**50,556.98**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	3,548.09	5,496.22	6,597.47	7,297.52	8,254.60[3]
	सहायता अनुदान	5,002.88	6,378.76	5,677.57	5,185.12	7,073.54[4]
	योग	**8,550.97**	**11,874.98**	**12,275.04**	**12,482.64**	**15,328.14**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**40,798.66**	**47,556.55**	**52,496.82**	**62,694.87**	**65,885.12**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**79**	**75**	**77**	**80**	**77**

1 राज्य सरकार का वित्त लेखा।

2 इसमें मुख्य शीर्ष 0006-राज्य माल एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्त ₹ 18,612.72 करोड़ की राशि शामिल है।

3 इसमें केंद्रीय माल एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,037.54 करोड़ की राशि और एकीकृत माल एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में ₹ 162.60 करोड़ शामिल हैं।

4 इसमें माल एवं सेवा कर के लागू होने से हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,820.00 करोड़ की राशि शामिल है।

2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.1

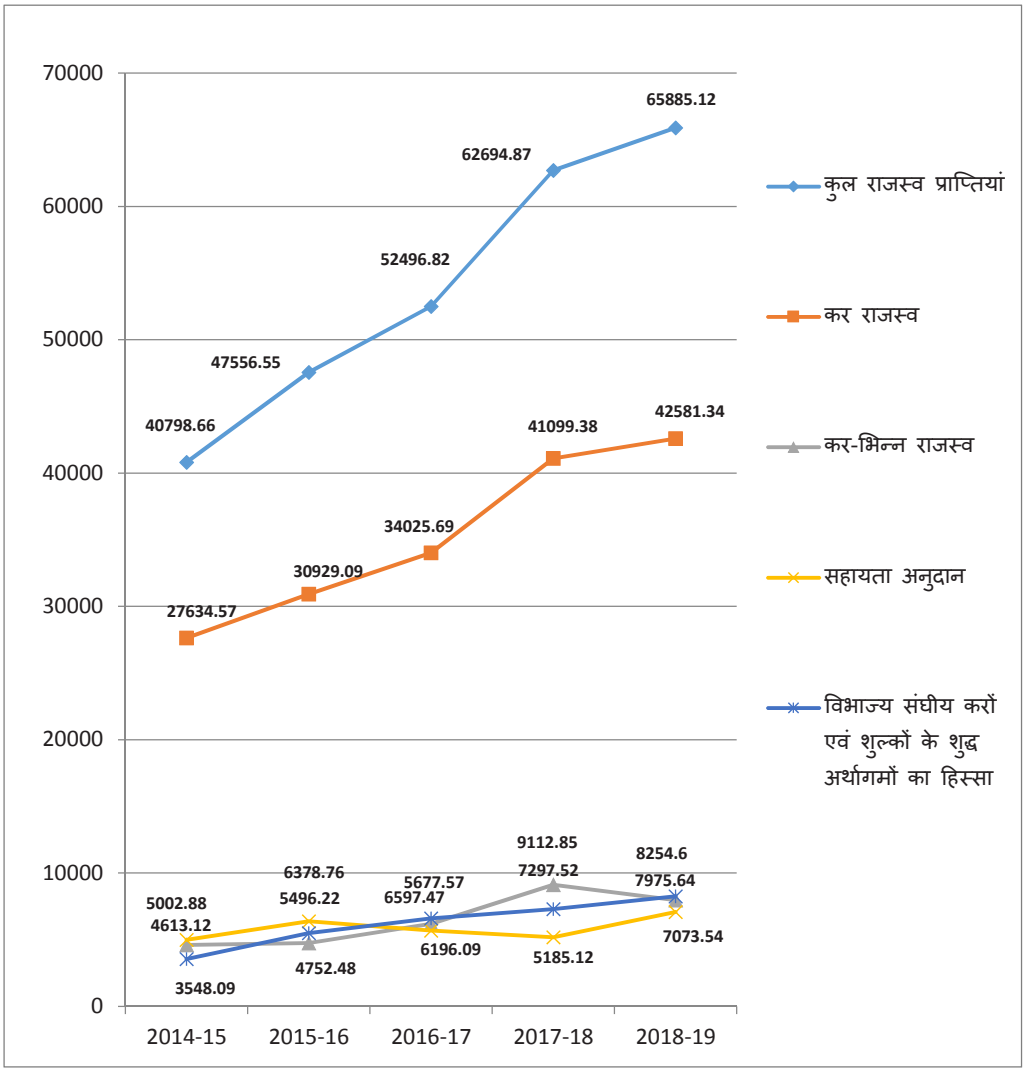

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 50,556.98 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 77 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्तियों का शेष 23 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा भारत सरकार से था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की इसके अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2014-15 (79 प्रतिशत) से 2016-17 (77 प्रतिशत) तक घटती प्रवृत्ति दर्शाती है। वर्ष 2017-18 के लिए यह बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई और उसके बाद वर्ष 2018-19 के लिए घटकर 77 प्रतिशत हो गई।

1.1.2 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	*2017-18 के वास्तविकों पर 2018-19 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता*
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	18,993.25 (68.73)	21,060.23 (68.09)	23,488.41 (69.03)	15,608.92 (37.98)	8,998.00 (21.13)	(-) 42.35
	राज्य माल एवं सेवा कर				10,833.43 (26.36)	18,612.72[5] (43.71)	-
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	3,470.45 (12.56)	4,371.08 (14.13)	4,613.13 (13.56)	4,966.21 (12.08)	6,041.87 (14.19)	21.66
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	3,108.70 (11.25)	3,191.21 (10.32)	3,282.64 (9.65)	4,192.49 (10.20)	5,636.17 (13.23)	34.43
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	527.07 (1.91)	554.25 (1.79)	594.59 (1.75)	2,317.47[6] (5.64)	20.70 (0.05)	(-) 99.11
5.	वाहनों पर कर	1,191.50 (4.31)	1,400.38 (4.53)	1,583.06 (4.65)	2,777.57 (6.76)	2,908.29 (6.83)	4.71
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	239.74 (0.87)	256.66 (0.83)	275.69 (0.81)	306.03 (0.74)	336.92 (0.79)	10.09
7.	भू-राजस्व	15.28 (0.06)	14.97 (0.05)	16.08 (0.05)	18.07 (0.04)	19.19 (0.05)	6.20
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	88.58 (0.32)	80.31 (0.26)	172.09 (0.51)	79.19 (0.19)	7.48 (0.02)	(-) 89.87
	योग	**27,634.57**	**30,929.09**	**34,025.69**	**41,099.38**	**42,581.34**	**3.61**
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	**8.08**	**11.92**	**10.01**	**20.79**	**3.61**	
	संपूर्ण औसत वृद्धि एवं पांच वर्ष की वृद्धि दर						**35,254.01 10.88**

[5] जी.एस.टी. की राशि वर्ष 2017-18 के लिए नौ महीने के लिए तथा 2018-19 के लिए 12 महीने की है। अतएव इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

[6] पी.जी.टी. 01.04.2017 से परिवहन विभाग को स्थानांतरित किया गया। इसमें जून 2017 में शुरू किए गए "बकाया देयों की वसूली के लिए हरियाणा एक बारगी निपटान" के अंतर्गत प्राप्त ₹ 1,722.88 करोड़ शामिल हैं।

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2

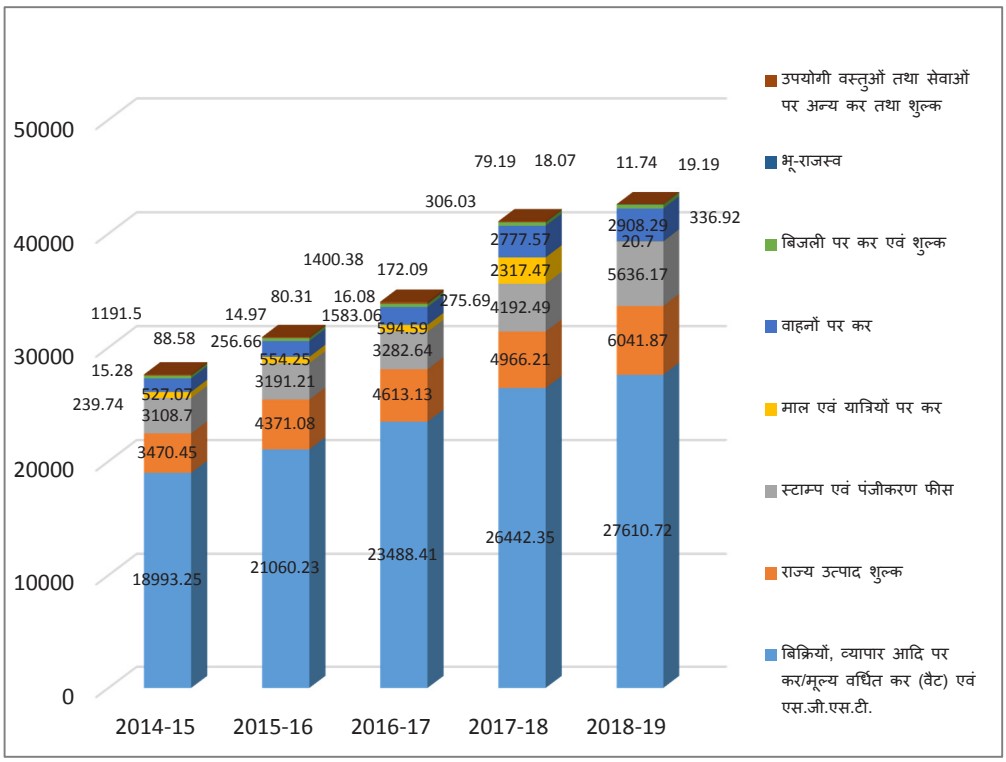

10.88 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व कर में ₹ 14,946.77 करोड़ (54.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2017-18 में 12.58 प्रतिशत से 4.4 प्रतिशत तक बिक्रियों (वैट + एस.जी.एस.टी.) पर मुख्यत: कर की वार्षिक वृद्धि दर में कमी के कारण 2018-19 के लिए वृद्धि दर घटकर 3.61 प्रतिशत हो गई क्योंकि कर प्राप्तियों का 65 प्रतिशत केवल इस शीर्ष के अंतर्गत संग्रहित किया गया है।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **राज्य उत्पाद शुल्क:** गत पांच वर्षों के दौरान, राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्ति में 2017-18 में ₹ 4,966.21 करोड़ के विरूद्ध 2018-19 में ₹ 6,041.87 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि देशी स्पिरिट पर अधिक प्राप्ति के कारण थी।
- **स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस:** गत पांच वर्षों के दौरान, स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस में 2017-18 में ₹ 4,192.49 करोड़ के विरूद्ध 2018-19 में ₹ 5,636.17 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि अचल संपत्ति के लेन-देन में वृद्धि के कारण थी।
- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** गत पांच वर्षों के दौरान, बिजली पर कर एवं शुल्कों में 2017-18 में ₹ 306.03 करोड़ के विरूद्ध 2018-19 में ₹ 336.92 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि बिजली की उपयोगिता द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क की अधिक वसूली के कारण थी।

1.1.3 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण निम्न तालिका में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	*2017-18 के वास्तविकों पर 2018-19 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता*
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	
1.	ब्याज प्राप्तियां	933.59 (20.24)	1,087.49 (22.88)	2,309.79 (37.28)	2,227.82 (24.45)	1,953.84 (24.50)	(-) 12.30
2.	सड़क परिवहन	1,235.31 (26.78)	1,254.55 (26.40)	1,265.13 (20.42)	1,279.66 (14.04)	1,196.64 (15.0)	(-) 6.49
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	564.48 (12.24)	637.41 (13.41)	640.48 (10.34)	674.03 (7.40)	272.17 (3.41)	(-) 59.62
4.	शहरी विकास	861.11 (18.67)	421.95 (8.88)	599.00 (9.67)	2,861.45 (31.40)	2,315.60 (29.03)	(-) 19.08
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	43.46 (0.94)	271.61 (5.72)	496.95 8.02)	712.87 (7.82)	583.20 (7.31)	(-) 18.19
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	129.27 (2.80)	110.48 (2.32)	113.43 (1.83)	132.43 (1.45)	164.19 (2.06)	23.98
7.	पुलिस	67.82 (1.47)	151.70 (3.19)	109.11 (1.76)	128.69 (1.41)	176.96 (2.22)	37.51
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	95.73 (2.08)	115.64 (2.43)	105.66 (1.71)	165.37 (1.81)	159.93 (2.01)	(-) 3.29
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	44.29 (0.96)	51.90 (1.09)	55.38 (0.89)	33.10 (0.36)	28.53 (0.36)	(-) 13.81
10.	विविध सामान्य सेवाएं[7]	20.38 (0.44)	41.39 (0.87)	31.54 (0.51)	251.50 (2.76)	166.03 (2.08)	(-) 33.98
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	145.50 (3.15)	142.06 (2.99)	31.17 (0.50)	189.34 (2.08)	195.70 (2.45)	3.36
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	472.18 (10.24)	466.30 (9.81)	438.45 (7.08)	456.59 (5.01)	762.85[8] (9.56)	67.07
योग		**4,613.12**	**4,752.48**	**6,196.09**	**9,112.85**	**7,975.64**	**(-) 12.48**

7 अस्वामिक जमा, राज्य लॉटरी, भूमि/संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

8 लाभांश एवं लाभ- ₹ 56.60 करोड़, लोक सेवा आयोग- ₹ 32.75 करोड़, लोक निर्माण- ₹ 38.67 करोड़, पेंशन में अंशदान एवं वसूली- ₹ 33.85 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता- ₹ 190.98 करोड़, श्रम एवं रोजगार- ₹ 37.02 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण- ₹ 59.79 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम- ₹ 130.63 करोड़, सड़क एवं पुल- ₹ 58.17 करोड़, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान- ₹ 31.25 करोड़; जेल- ₹ 2.44 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान- ₹ 1.20 करोड़, लेखन सामग्री एवं प्रिंटिंग- ₹ 2.76 करोड़, परिवार कल्याण- ₹ 0.12 करोड़, आवास- ₹ 4.22 करोड़, सूचना एवं प्रकाशन- ₹ 0.57 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं- ₹ 0.47 करोड़, फसल पालन- ₹ 11.16 करोड़, पशुपालन- ₹ 24.78 करोड़, डेयरी विकास- ₹ 0.03 करोड़, मछली पालन- ₹ 2.06 करोड़, खाद्य भंडार एवं भंडारण- ₹ 0.41 करोड़, सहकारिता- ₹ 9.71 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम- ₹ 1.72 करोड़, भूमि सुधार- ₹ 0.05 करोड़, लघु सिंचाई- शून्य, बिजली- शून्य, पेट्रोलियम- शून्य, नई नवीकरणीय ऊर्जा- ₹ 0.18 करोड़, कुटीर एवं लघु उद्योग- ₹ 0.86 करोड़, उद्योग- ₹ 0.11 करोड़, नागरिक उड्डयन- ₹ 1.74 करोड़, पर्यटन- ₹ 06.18 करोड़, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं- ₹ 22.37 करोड़।

विभिन्न कर-भिन्न राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति को **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3

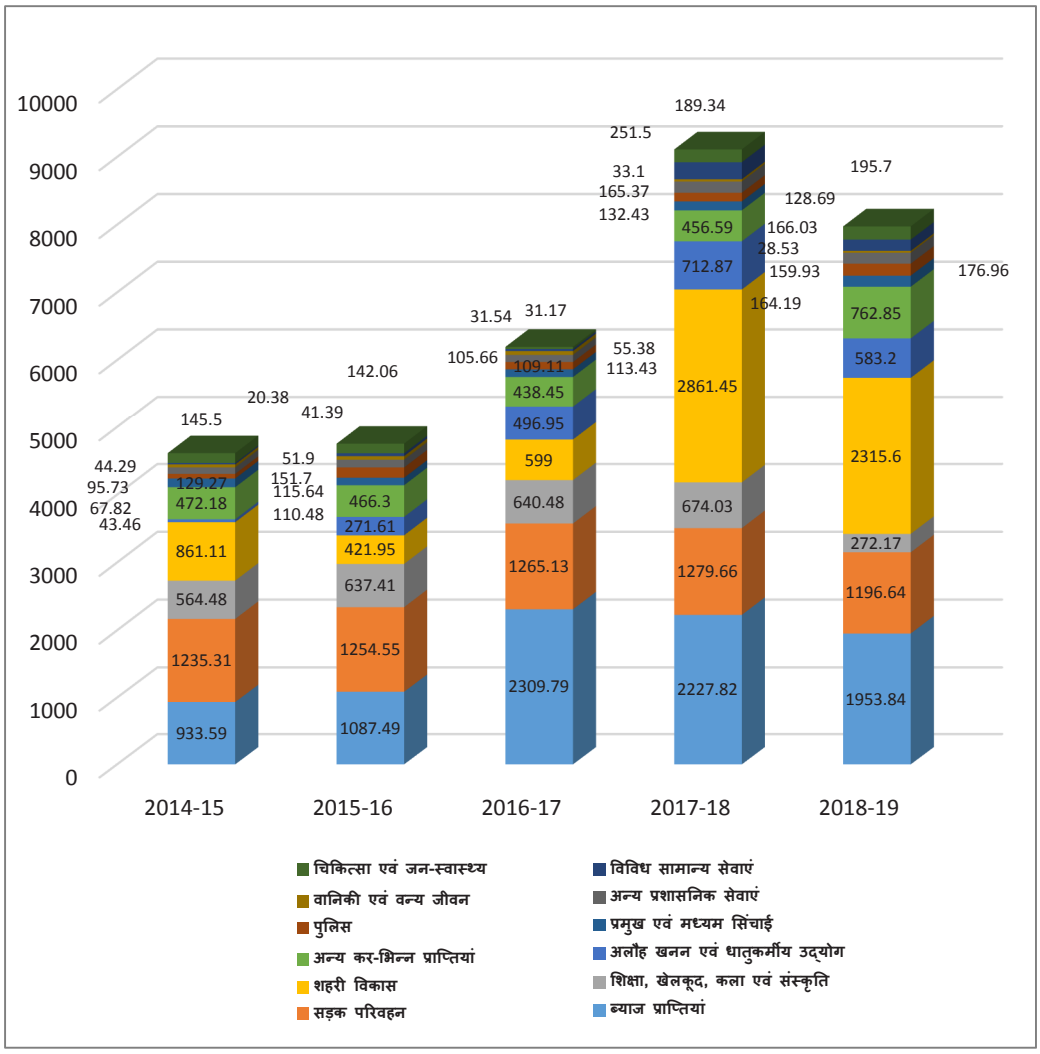

वर्ष 2017-18 की वास्तविक प्राप्तियों पर 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में 12.48 प्रतिशत की कमी है। ब्याज प्राप्तियां (24.50 प्रतिशत), शहरी विकास (29.03 प्रतिशत), तथा सड़क परिवहन (15.0 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और समग्र रूप से कुल कर-भिन्न राजस्व का लगभग 68.53 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगः** वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (18.19 प्रतिशत) संविदा धन/डेड रेंट का भुगतान न करने पर खनन अनुबंध/पट्टे की समय से पहले समाप्ति, अनुबंध का समर्पण, यह स्वीकार करने के बाद कि वे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकते हैं, वार्षिक बोली राशि में कमी की मांग करते हुए अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका दायर करने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान न करने के कारण खनन परिचालन शुरू न करने के कारण थी।

- **प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई:** वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (23.98 प्रतिशत) पिछले वर्ष के बकायों की वसूली तथा विभाग की संसाधन गतिशीलता नीति के अंतर्गत ताजे पानी की दरों में वृद्धि के कारण थी।

- **शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति:** वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (59.62 प्रतिशत) प्राथमिक शिक्षा से कम प्राप्ति के कारण थी।

- **शहरी विकास:** वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (19.08 प्रतिशत) लाइसेंस आवेदन की कम प्राप्ति और नई सस्ती ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी, जहां लाइसेंस शुल्क माफ किया गया, के कारण थी।

- **ब्याज प्राप्ति:** वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (12.30 प्रतिशत) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज की कम प्राप्तियों के कारण थी।

- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (13.81 प्रतिशत) विभागीय कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त अंकन की संक्षिप्त सूची तथा उत्पादन विंग का हरियाणा वन विकास निगम में विलय के कारण थी।

- **पुलिस:** वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि ट्रैफिक चालानों से प्राप्त अधिक राजस्व, अन्य सरकार से अधिक वसूली, साथ ही वित्तीय वर्ष में अन्य प्राप्तियों से अधिक राजस्व प्राप्तियों के कारण थी।

- अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2019 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 19,156.02 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 3,223.75 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से

बकाया थे जो कि नीचे वर्णित है:

तालिका 1.2: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2019 को बकाया राशि	31 मार्च 2019 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	**बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट**	17,595.10	2,758.65	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,690.43 करोड़ (9.60 प्रतिशत) की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 323.70 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 02.61 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 114.42 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹ 3,063.78 करोड़ परिशोधन/समीक्षा/ अपील के कारण रोके गए थे। ₹ 905.62 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी तथा ₹ 805.97 करोड़ विभाग द्वारा (अन्य कारणों से) वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 1,194.86 करोड़ की वसूली बकाया थी। अन्तर्राज्य बकाया ₹ 485.09 करोड़ था तथा अन्तर्जिले बकाया ₹ 131.82 करोड़ था। ₹ 0.97 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 8,875.83 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर थी।
2.	**राज्य उत्पाद शुल्क**	272.78	136.93	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 18.69 करोड़ (6.85 प्रतिशत) की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 0.56 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 01.05 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 82.19 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तर्जिले बकायों के कारण था। ₹ 0.03 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 170.26 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
3.	**बिजली पर कर एवं शुल्क**	257.24	120.38	₹ 256.24 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थे तथा ₹ एक करोड़ हरियाणा कॉनकास्ट, हिसार के विरूद्ध लम्बित थे।
4.	**स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)**	205.62	147.96	₹ 165.44 करोड़ की वसूली (80.45 प्रतिशत) उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 40.18 करोड़ की राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2019 को बकाया राशि	31 मार्च 2019 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
5.	**पुलिस**	122.55	8.19	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.37 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 114.89 करोड़ अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6.	**वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां**	11.69	11.69	₹ 3.18 करोड़ (27.20 प्रतिशत) की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.01 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 8.50 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7.	**अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग**	691.04	39.95	₹ 359.45 करोड़ वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थे। ₹ 0.55 करोड़ (0.07 प्रतिशत) की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ चार लाख बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 331 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	योग	**19,156.02**	**3,223.75**	

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए, नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2017-18	2,54,927	2,67,172	5,22,099	2,09,688	3,12,411	40
	2018-19	3,12,411	2,19,396	5,31,807	2,35,122	2,96,685	44

वर्ष की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह आगे अवलोकित किया गया है कि मामलों के निपटान की प्रतिशतता मात्र 44 थी।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के अंतर्गत, विभाग कर अपवंचन का पता लगाने और तीसरे पक्ष से प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्ध डीलर का निरीक्षण करने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करता है। विभाग ने नए करदाता को कर सीमा के दायरे में लाने के लिए व्यावसायिक परिसरों में सर्वेक्षण भी किया। इसके अतिरिक्त, माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा रोड साइड चेकिंग भी एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, जो निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2018 को लम्बित मामले	2018-19 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2019 को अंतिमकरण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	**बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट**	55	1,541	1,596	1,578	12.90	18
2	**राज्य उत्पाद शुल्क**	396	6,669	7,065	6,647	6.67	418
योग		**451**	**8,210**	**8,661**	**8,225**	**19.57**	**436**

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के मामले में कमी तथा राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में वृद्धि हुई है।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2018-19 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2018-19 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग

द्वारा सूचित किया गया, जो निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 1.5: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	348	89.96	45	1.46
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,571	440.65	196	20.33
3.	वर्ष के दौरान किए गए/ समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	1,592	461.46	212	21.15
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	327	69.15	29	0.64

वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बकाया मामलों की संख्या बिक्री कर/वैट तथा राज्य उत्पाद शुल्क में कम हुई है।

1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 261 यूनिटों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 173 यूनिटों (66 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसाकि निम्न तालिका में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	143	143
राज्य उत्पाद शुल्क	22	22
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	96	8
योग	**261**	**173**

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में दर्शाई गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताएं आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के

भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2018 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि जून 2019 के अन्त में 2,588 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 8,455.42 करोड़ से आवेष्टित 7,701 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ निम्न तालिका में उल्लिखित है:

तालिका 1.7: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2017	जून 2018	जून 2019
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,302	2,446	2,588
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	6,430	6,915	7,701
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	5,869.33	6,577.52	8,455.42

1.7.1 30 जून 2019 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	**आबकारी एवं कराधान**	बिक्री कर/वैट	365	3,356	6,264.25
		राज्य उत्पाद शुल्क	186	339	179.22
		माल एवं यात्रियों पर कर	254	465	40.01
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	22	24	11.63
2.	**राजस्व**	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,097	2,599	387.75
		भू-राजस्व	138	175	0.79
3.	**परिवहन**	वाहनों पर कर	418	579	36.44
4.	**विद्युत**	बिजली पर कर एवं शुल्क	8	8	0.79
5.	**खदान एवं भू-विज्ञान**	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	100	156	1,534.54
योग			**2,588**	**7,701**	**8,455.42**

निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बनता में वृद्धि इस तथ्य का सूचक थी कि कार्यालयों तथा विभागों के अध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र उत्तर सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए विभागों के उत्तरों की प्रभावी मॉनीटरिंग की प्रणाली स्थापित कर सकती है।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा समायोजित किए गए अनुच्छेदों के विवरण निम्न तालिका में उल्लिखित हैं:

तालिका 1.7.2: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	6	202	360.27
2	परिवहन विभाग	1	27	0.57
3	राजस्व विभाग	5	78	0.71
	योग	**12**	**307**	**361.55**

वर्ष 2018-19 के दौरान 1,087 अनुच्छेदों पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 361.55 करोड़ के धन मूल्य वाले 307 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में 857 अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 48.88 करोड़ के धन मूल्य वाले 206 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था। यह दर्शाता है कि वर्ष 2017-18 में निपटान किए गए अनुच्छेदों (24 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान निपटान किए गए अनुच्छेदों की प्रतिशतता में वृद्धि (28 प्रतिशत) दर्शाई गई है।

1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 173.42 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 58,653 कर-निर्धारण फाईलों में से 265 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण निम्न तालिका 1.7.3 में दिया गया है:

तालिका 1.7.3: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड (₹ करोड़ में)
कर-निर्धारण मामले			
भिवानी	2018-19	04	2.13
गुरूग्राम (पश्चिम)	2018-19	20	8.70
पानीपत	2018-19	02	-
नारनौल	2018-19	06	3.51
रेवाड़ी	2018-19	01	0.92
सिरसा	2018-19	172	92.82
बहादुरगढ़	2018-19	32	13.89
अंबाला कैंट	2018-19	26	47.80
फरीदाबाद (पूर्व)	2018-19	2	3.65
योग		**265**	**173.42**

इसके फलस्वरूप, उपर्युक्त डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) से संबंधित ₹ 173.42 करोड़ की राशि के 265 मामलों की अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी।

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे अनुच्छेदों के अन्त में इंगित किया जाता है।

बाईस प्रारूप अनुच्छेदों (20 ड्राफ्ट अनुच्छेद में इकट्ठे किए गए) और एक निष्पादन लेखापरीक्षा को फरवरी 2019 और मार्च 2020 के मध्य संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास भेजा गया था। प्रारूप अनुच्छेदों में से किसी का भी और निष्पादन लेखापरीक्षा का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा के समापन पर सरकार के साथ आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में प्रासंगिक स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों में देरी की जा रही थी। तथापि, 31 मार्च 2016 तथा 2017 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों के 39 अनुच्छेदों (आबकारी एवं कराधान: 27, परिवहन: 02, राजस्व: 08 तथा खदान एवं भू-विज्ञान: 02) के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां, जैसा **परिशिष्ट-I** में उल्लिखित है, प्राप्त नहीं हुई थी (जून 2019)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 24 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की तथा 24 अनुच्छेदों पर इसकी सिफारिशें वर्ष 2018-19 की उनकी 78वीं रिपोर्ट में शामिल की गई थी। **परिशिष्ट-II** में यथा उल्लिखित लोक लेखा समिति की 22वीं से 78वीं रिपोर्ट में शामिल 1979-80 से 2014-15 की अवधि से संबंधित 1,034 सिफारिशें अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई, जो कि संबंधित विभागों/सरकार द्वारा की जानी थी, के अभाव में अभी तक लंबित थी।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में बिक्री कर/वैट के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग के निष्पादन तथा वर्ष 2009-10 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों पर चर्चा करते हैं।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2019 को उनकी स्थिति **परिशिष्ट-III** में उल्लिखित है।

31 मार्च 2019 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2009-10 में 343 से 2018-19 में 351 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2009-10 में 1,523 से 2018-19 में 3,154 तक बढ़ गई थी। सरकार को पुराने लंबित अनुच्छेदों के समायोजन के लिए लेखापरीक्षा समिति की अधिक बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूली की गई राशि की स्थिति **परिशिष्ट-IV** में दी गई है:

जबकि विभाग ने गत 10 वर्षों के दौरान ₹ 1,944.38 करोड़ के मूल्य की आपत्तियां स्वीकार की थीं, स्वीकृत राशि में से वसूल की गई राशि मात्र ₹ 3.73 करोड़ थी। गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में वसूली की प्रगति बहुत कम (0.19 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

1.9 लेखापरीक्षा आयोजना

हरियाणा राज्य में कुल 526 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2018-19 के दौरान 276 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा 275 इकाइयों[9] की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

[9] संयुक्त सब-रजिस्ट्रार, लाखन माजरा (रोहतक) की एक नई यूनिट योजना में थी परंतु लेखापरीक्षा के समय यह कार्यरत नहीं थी।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन कर तथा अन्य विभागीय कार्यालयों से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 526 यूनिटों में से 275 (राजस्व 273 + व्यय 02) यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2018-19 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 9,836 मामलों में कुल ₹ 2,279.04 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,211 मामलों में आवेष्टित ₹ 948.12 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभागों ने वर्ष 2018-19 के दौरान 304 मामलों में ₹ 13.29 करोड़ (1.40 प्रतिशत) वसूल किए थे।

1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 671.23 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित **"स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण और भूमि अभिलेख के लिए कंप्यूटरीकरण की पहल"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 19 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 670.32 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 10.65 करोड़ वसूल किए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 में चर्चा की गई है।